

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व
अहकाम
हुक्म की
में जारी हु

23/5/12

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान-न्याय आपके द्वार में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए और प्रार्थीगण की ओर से निवेदन किया गया कि हस्तगत आवेदन को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। इस कारण आवेदन को विद्धो खारिज किया जावे। प्रार्थीगण की पहचान श्री भेराराम पूर्व सरपंच कादानाडी की तरफ से दी गई। हमने प्रार्थीगण को सुना और पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थीगण कि स्वयं प्रार्थीगण अपना आवेदन को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। इसी स्थिति में आवेदन को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थीगण का आवेदन इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफतर हो।

23/5/12
उपखण्ड अधिकारी, सिपाघरी